

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड,  
8-ए, बंगाली लाईब्रेरी रोड़, देहरादून ।

## मैनुअल – आठ

[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4(1)(ख)(viii)]

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उस बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी

वर्तमान में आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में कोई बोर्ड, परिषद, समिति अथवा निकाय गठित नहीं है।

\*\*\*\*\*